न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–3, देवरिया।

दाण्डिक प्रकीर्ण संख्या–469/2025

CNR.NO.UPDE010044662025

जय प्रकाश कुशवाहा **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य

निस्तारण प्रार्थनापत्र कागज संख्या–5 ख अन्तर्गत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम।

01.06.2026

पत्रावली आज प्रार्थना पत्र कागज संख्या–5 ख अन्तर्गत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम पर आदेशार्थ नियत है। पूर्व की तिथि पर उभयपक्ष के विद्वान अधिक्ता को उपरोक्त प्रार्थना एवं आपत्ति कागज संख्या–13 ख पर विस्तार से सुना जा चुका है। मेरे द्वारा पत्रावली का सम्यक रूप से परिशीलन किया गया।

आवेदक जय प्रकाश कुशवाहा द्वारा प्रार्थना पत्र कागज संख्या–5 ख मय शपथ पत्र कागज संख्या–6 ख अन्तर्गत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि वह गरीब व्यक्ति है। प्रश्नगत आदेश दिनांकित 18.07.2025 पारित होने के बाद उसकी पत्नी की तबीयत खराब हो गयी थी। पत्नी के दवा ईलाज आवेदक लग गया और समय से प्रश्नगत आदेश दिनांक 18.07.2025 की नकल हेतु प्रार्थना पत्र नहीं दे सका। किसी तरह पैसे की व्यवस्था करके दिनांक 17.09.2025 को नकल हेतु आवेदन पत्र दिया और नकल प्रार्थी को दिनांक 24.10.2025 को प्राप्त होने पर निगरानी दाखिल किया गया। आवेदक/निगरानीकर्ता द्वारा यह भी कथन किया गया है कि अगर उसकी पत्नी बीमार नहीं पड़ती तो प्रस्तुत निगरानी किसी तरह पैसे की व्यवस्था कर समय से दाखिल कर दिया होता। आवेदक/निगरानीकर्ता ने निगरानी दाखिल करने में जान–बूझकर विलम्ब नहीं किया है। आवेदक धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम का लाभ पाने का अधिकारी है। अतः ऐसी दशा में निगरानी दाखिल करने में हुए विलम्ब को माफ कर सुनवाई किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। अतः यह प्रार्थना की गयी है है कि निगरानी दाखिल करने में हुए विलम्ब को माफ कर निगरानी पर सुनवाई की जाये।

आवेदक की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कागज संख्या–5 ख के विरुद्ध प्रतिपक्षीगण की ओर से आपत्ति कागज संख्या–13 ख मय शपथ पत्र 14 ख में कथन किया

गया है कि प्रार्थना पत्र विधि एवं तथ्यों एवं परिस्थितियों के विरुद्ध है। इसलिए निरस्त होने योग्य है। प्रार्थना पत्र में निगरानीकर्ता द्वारा अपनी पत्नी की तबियत खराब होने की बात कही गयी है परन्तु इस तथ्य के समर्थन में कोई प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है। निगरानीकर्ता ने मिथ्या रूप से कथन करते हुए दफा 5 भारतीय मियाद अधि० का लाफ पाने हेतु प्रार्थना पत्र दिया है। निगरानीकर्ता ने क्लीन हैण्ड से नहीं आया है। निगरानीकर्ता दफा 5 मियाद अधि० का लाभ किसी तौर पर पाने की अधिकारी नहीं है। प्रार्थना पत्र हर तौर पर निरस्त होने योग्य है।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक/निगरानीकर्ता जय प्रकाश कुशवाहा द्वारा प्रार्थना पत्र कागज संख्या–5 ख मय शपथ पत्र कागज संख्या–6 ख अन्तर्गत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि वह गरीब व्यक्ति है। प्रश्नगत आदेश पारित होने के बाद उसकी पत्नी की तबीयत खराब हो गयी थी। पत्नी के दवा ईलाज आवेदक लग गया और समय से प्रश्नगत आदेश दिनांक 18.07.2025 की नकल हेतु प्रार्थना पत्र नहीं दे सका। किसी तरह पैसे की व्यवस्था करके दिनांक 17.09.2025 को नकल हेतु आवेदन पत्र दिया और नकल प्रार्थी को दिनांक 24.10.2025 को प्राप्त होने पर निगरानी दाखिल किया गया। आवेदक/निगरानीकर्ता द्वारा यह भी कथन किया गया है कि अगर उसकी पत्नी बीमार नहीं पड़ती तो प्रस्तुत निगरानी किसी तरह पैसे की व्यवस्था कर समय से दाखिल कर दिया होता। आवेदक/निगरानीकर्ता ने निगरानी दाखिल करने में जान–बूझकर विलम्ब नहीं किया है। आवेदक धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम का लाभ पाने का अधिकारी है। अतः ऐसी दशा में निगरानी दाखिल करने में हुए विलम्ब को माफ कर सुनवाई किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। अतः यह प्रार्थना की गयी है है कि निगरानी दाखिल करने में हुए विलम्ब को माफ कर निगरानी पर सुनवाई की जाये। आवेदक के उक्त प्रार्थना पत्र के विरुद्ध प्रतिपक्षीगण 2 लगायत 4 ने आपत्ति 13 ख मय शपथ पत्र 14 ख प्रस्तुत कर यह आपत्ति की है कि प्रार्थना पत्र विधि एवं तथ्यों तथा परिस्थितियों के विरुद्ध है। आवेदक द्वारा पत्नी की तबीयत खराब होने से संबंधित कोई प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है। आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र मिथ्या कथन करते हुए दिया गया है। आवेदक स्वच्छ हाथ से नहीं आया है। आवेदक दफा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम का लाभ पाने का अधिकारी नहीं है। अतः उसका दफा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाये।

आवेदक की ओर से विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित

18.07.2025 की सत्यप्रतिलिपि कागज संख्या–7 ख/2 लगायत 7 ख/7 सूची सबूत 7 ख/1 से प्रस्तुत की गयी है। आवेदक का कहना है कि वह गरीब व्यक्ति है और आदेश दिनांकित 18.07.2025 पारित होने के पश्चात पत्नी की तबीयत खराब हो जाने के कारण उसके दवा ईलाज में व्यस्त हो गया जिस कारण समय से आदेश की नकल हेतु प्रार्थना पत्र नहीं दे सका। इसी कारण निगरानी प्रस्तुत करने में विलम्ब कारित हो गया, उक्त विलम्ब को आवेदक द्वारा माफ कर निगरानी पर सुनवाई किये जाने का अनुरोध किया गया है। यह बात सही है कि निगरानी विहित समयावधि व्यतीत होने के मात्र 11 दिन उपरान्त आवेदक द्वारा विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है। प्रतिपक्षीगण की आपत्ति है कि ईलाज से संबंधित कोई प्रपत्र आवेदक ने प्रस्तुत नहीं किये हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समय–समय पर प्रतिपादित विधि व्यवस्थाओं में मत व्यक्त किया गया है कि काल बाधित पुनरीक्षण के संबंध में परिसीमा के प्रश्न पर सहानुभूति पूर्वक लचीला विचार न्यायालय को रखना चाहिए तथा इस संबंध में न्यायालय को अधिक तकनीकी दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए। उल्लेखनीय है कि धारा 5 परिसीमा अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर उदार दृष्टिकोण अपनाए जाने की विधि है जिससे मामले का गुणदोष पर निस्तारण किया जा सके। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों तथा विपक्षी की ओर से की गयी आपत्ति के आलोक में आवेदक का प्रार्थना पत्र कागज संख्या–5 ख हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक जय प्रकाश कुशवाहा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कागज संख्या–5 ख अन्तर्गत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम धनराशि मुवलिग 1,000(एक हजार रूपये) हर्जे पर स्वीकार किया जाता है तथा दाण्डिक पुनरीक्षण याचिका संस्थित करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाता है।

पत्रावली अंगीकरण के विन्दू पर सुनवाई हेतु माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के समक्ष दिनांक 08.06.2026 को प्रस्तुत हो। प्रतिपक्षीगण की आपत्ति तद्नुसार निस्तारित की जाती है।

Sd–/

(रवि यादव)

दिनांक–01.06.2026

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–3, देवरिया।
J.O.CODE.UP.6430